REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं.
 66]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

 No.
 66]
 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

# भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 31 जनवरी, 2019

# सं. फेमा 20(आर) (6)/2019-आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 78(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 (दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा. 20 (आर)/2017-आरबी) (जिसे इसके पश्चात "मुल विनियमावली" कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएंगे।
- (ii) यह विनियमावली 1 फरवरी 2019 से लागू होगी।

# 2. विनियम 16. बी में संशोधन :-

विनियम 16. बी में,

(i) विद्यमान क्रम सं.15.2.3 (बी) में 'ई-कॉमर्स एंटीटी' का अर्थ है कोई कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया है, इन शब्दों को 'ई-कॉमर्स एंटीटी' का अर्थ है कोई कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया है से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

650 GI/2019

(ii) मौजूदा क्रम सं.15.2.3 (एच) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

मार्केट-प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटीटी किसी इनवेंटरी अर्थात बेची जाने वाली वस्तुओं, पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं दर्शाएगी।

**स्पष्टीकरण:** विक्रेता की इनवेंटरी को ई-कॉमर्स एंटीटी द्वारा तभी नियंत्रित समझा जाएगा यदि इस प्रकार के विक्रेताओं की 25% से अधिक ख़रीदारी मार्केट-प्लेस एंटीटी अथवा उसकी समूह कंपनियों से की गई हो, जिससे इस कारोबार का मॉडेल इनवेंटरी आधारित मोडेल बन जाएगा।

(iii) मौजूदा क्रम सं. 15.2.3(आई ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

कोई एंटीटी, जिसमें ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटीटी अथवा उसकी समूह कंपनियों की इक्विटि सहभागिता है, अथवा जिसकी इनवेंटरी पर ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटीटी अथवा उसकी समूह कंपनियों का नियंत्रण है, को ऐसी मार्केटप्लेस एंटीटी द्वारा चलाए गए प्लैटफ़ार्म पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) मौजूदा क्रम सं. 15.2.3(एम) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

मार्केट-प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटिटियाँ माल तथा सेवाओं के बिक्री मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगी तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगी। ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटिटियों अथवा अन्य एंटिटियों, जिनमें ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटीटी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटि सहभागिता अथवा सामान्य नियंत्रण है, द्वारा विक्रेताओं को प्लैटफ़ार्म पर ऐसी सेवाएँ, एक विशिष्ट दूरी बनाए रखते हुए, उचित रूप से तथा बिना किसी पक्षपात के प्रदान की जानी चाहिए।

**स्पष्टीकरण:** ऐसी सेवाओं में पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, माल गोदाम, विज्ञापन/ विपणन, भुगतान, वित्तपोषण, आदि शामिल होंगे, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं होंगी। ख़रीदारों को मार्केट-प्लेस एंटीटी की समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए कॅश बॅक उचित तथा पक्षपात रहित होने चाहिए। इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी भी विक्रेता को ऐसी शर्तों, जो समान परिस्थितियों में अन्य विक्रेताओं को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, पर सेवाएँ प्रदान करना अनुचित तथा पक्षपाती माना जाएगा।

(v) क्रम सं. 15.2.3 में मौजूदा खंड (एन) के बाद एक नया खंड (ओ) जोड़ा जाएगा, अर्थात:

ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटिटी किसी भी विक्रेता को कोई उत्पाद अनन्य रूप से अपने ही प्लैटफ़ार्म पर बेचने के लिए अधिदेशित नहीं करेगी।

vi) क्रम सं. 15.2.3 के खंड (ओ) के पश्चात एक नया खंड (पी) जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से सभी मौजूदा निवेश उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में होने चाहिए।

[फा. सं. 1/22/ईएम/2016] युजीन ई. कार्थक, क्षेत्रीय निदेशक

### पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 7 नवम्बर 2017 के जी.एस.आर.सं.1374(अ) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में संशोधन के तहत

सा.का.नि. 279(अ) दिनांक 26 मार्च, 2018

सा.का.नि. 520(अ) दिनांक 01 जून, 2018

सा.का.नि. 823(अ) दिनांक 30 अगस्त, 2018

#### **RESERVE BANK OF INDIA**

#### (Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 31st January, 2019

#### No. FEMA. 20(R) (6)/2019-RB

### Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2019

**G.S.R. 78(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017 (Notification No. FEMA. 20 (R)/2017-RB dated November 07, 2017) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

### 1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2019.

(ii) They shall come into force from February 01, 2019.

#### 2. Amendment to Regulation 16.B

In Regulation 16.B,

(i) In the existing SL.No. 15.2.3(b) the words 'E-commerce entity' means a company incorporated under Companies Act, 2013 shall be substituted by 'E-commerce entity' means a company incorporated under the Companies Act 1956 or the Companies Act, 2013.

(ii) The existing SL. No. 15.2.3(h) shall be substituted by the following, namely:

E-commerce entity providing a marketplace will not exercise ownership or control over the inventory i.e. goods purported to be sold.

**Explanation :** Inventory of a vendor will be deemed to be controlled by e-commerce marketplace entity if more than 25% of purchases of such vendor are from the marketplace entity or its group companies which will render the business into inventory based model.

(iii) The existing SL. No. 15.2.3(i) shall be substituted by the following, namely:

'An entity having equity participation by e-commerce marketplace entity or its group companies or having control on its inventory by e-commerce marketplace entity or its group companies, will not be permitted to sell its products on the platform run by such marketplace entity.'

(iv) The existing SL. No. 15.2.3(m) shall be substituted by the following, namely:

E-commerce entities providing marketplace will not, directly or indirectly, influence the sale price of any goods or services and shall maintain level playing field. Services should be provided by e-commerce marketplace entity or other entities in which e-commerce marketplace entity has direct or indirect equity participation or common control, to vendors on the platform at arm's length and in a fair and non-discriminatory manner.

**Explanation:** Such services will include but not limited to fulfilment, logistics, warehousing, advertisement/marketing, payments, financing etc. Cash back provided by group companies of marketplace entity to buyers shall be fair and non-

discriminatory. For the purposes of this clause, provision of services to any vendor on such terms which are not made available to other vendors in similar circumstances will be deemed unfair and discriminatory.

(v) In existing SL. No. 15.2.3, after the existing clause (n), a new clause (o) shall be inserted, namely:

No e-commerce marketplace entity shall mandate any seller to sell any of their product exclusively on its platform.

(vi) In existing SL. No. 15.2.3, after the clause (o), a new clause (p) shall be inserted, namely:

All existing investments shall have to be in compliance with the above conditions from the date of issue of this Notification.

[F. No. 1/22/EM/2016]

EUGENE E. KARTHAK, Regional Director

### Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 1374(E) dated November 07, 2017 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under.

G.S.R. No. 279(E) dated 26.03.2018

G.S.R. No. 520(E) dated 01.06.2018

G.S.R. No. 823(E) dated 30.8.2018